न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 – 21/2022(2022/00115)

अनवान : –

नेकीराम पुत्र बगड़ावत जाति बिश्नोई निवासी सरदारगढ़िया तहसील भादरा।

प्रार्थी।

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र रामधन जाति बिश्नोई निवासी ढाणी बिश्नोईयान तहसील भादरा।
2. बहादुरसिंह पुत्र जुगलसिंह राजपूत निवासी गोगामेड़ी तहसील भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र रिकॉर्डदुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :–श्री विनोद पूनियां प्रार्थी
श्री उम्मेद मोठसरा अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक: 29/4/22

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 11 एमएसआर के वर्तमान खाता सं 105/22 के मुरब्बा न0 15 के किला न0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 9, 10/3, 10/4, 11/3, 11/4, 12, 13, 19/1 इस प्रकार कुल किता 12 की कुल 1.733 हैक्टेयर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रत्येक के नाम 1/3–1/3 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने उक्त कृषि भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा उप पंजीयक भादरा के मार्फत दिनांक 30.04.2012 को कीमतन वीरसिंह, लीलूराम, शेरसिंह पि0 रामचन्द्र जाति अहीर निवासी सरदारगढ़िया से 1.7379 हैक्टेयर कृषि भूमि क्रय की थी जिसमें प्रार्थी नेकीराम के नाम 3/5 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रत्येक के नाम 1/5–1/5 हिस्सा क्रय की थी। उक्त खरीद शुदा भूमि नामान्तरण संख्या 404 के द्वारा प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज हुई, जिसमें लिपिकिय भूल द्वारा बैयनामा में खरीद किये हुए हिस्से के बजाये प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज हो गई।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के हिस्सा कस्सी गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थी के हितों पर विपरित असर पड़ता है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.04.2012 उप पंजीयक भादरा एवं नामान्तरण संख्या 404 चक 11 एमएसआर से साफ रोशन है कि उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी का 3/5 हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा निहित है।

बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने रोही मौजा चक 11 एमएसआर के वर्तमान खाता सं 105/22 के मुरब्बा न0 15 के किला न0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 9, 10/3, 10/4, 11/3, 11/4, 12, 13, 19/1 इस प्रकार कुल किता 12 की कुल 1.733 हैक्टेयर जिसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रत्येक के नाम 1/3–1/3 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है में प्रार्थी 3/5 हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रत्येक के नाम 1/5–1/5 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज करवाने का कानूनी अधिकारी है। उक्त कृषि भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा उप पंजीयक भादरा के मार्फत दिनांक 30.04.2012 को कीमतन वीरसिंह, लीलूराम, शेरसिंह पि0 रामचन्द्र जाति अहीर निवासी सरदारगढ़िया से 1.7379 हैक्टेयर कृषि भूमि क्रय की थी जिसमें प्रार्थी नेकीराम के नाम 3/5 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रत्येक के नाम 1/5–1/5 हिस्सा क्रय की थी। उक्त खरीद शुदा भूमि नामान्तरण संख्या 404 के द्वारा प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज हुई, जिसमें लिपिकिय भूल द्वारा बैयनामा में खरीद किये हुए हिस्से के बजाये प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज हो गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.04.2012 उप पंजीयक भादरा एवं नामान्तरण संख्या 404 चक 11 एमएसआर पेश किया जिससे साफ रोशन है कि उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी का 3/5 हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिये था।

अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त रोही मौजा चक 11 एमएसआर के वर्तमान खाता सं 105/22 के मुरब्बा न0 15 के किला न0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 9, 10/3, 10/4, 11/3, 11/4, 12, 13, 19/1 इस प्रकार कुल किता 12 की कुल 1.733 हैक्टेयर में प्रार्थी नेकीराम को 3/5 हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या 1 ओमप्रकाश को 1/5 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 2 बहादुरसिंह को 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 29/4/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी)
RAS
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़